छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय,

कैम्प कार्यालय :दुग्ध विज्ञान एवं खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक / शैक्ष. / प्रवेश / 2017 / रायपुर, दिनांक / 07 / 2017

प्रवेश हेतु काउंसिलिंग

दुग्ध विज्ञान एवं खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, रायपुर में बी.टेक दुग्ध प्रौद्योगिकी के प्रथम वर्ष 2017–18 में प्रवेश हेतु द्वितीय चरण की काउंसिलिंग सूचना

छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय के अन्तर्गत बी.टेक (दुग्ध प्रौद्योगिकी) के प्रथम वर्ष (सत्र 2017–18) हेतु द्वितीय चरण की काउंसिलिंग पी.ई.टी. परीक्षा 2017 के आधार पर निम्नानुसार निर्धारित है। **प्रथम चरण की कौंसलिंग पश्चात 29 सीटें उपलब्ध है ।**

द्वितीय कौंसलिंग के दौरान अपनाई जाने वाली प्रकिया

कौसलिंग दिनांक	पी.ई.टी. 2017 कंबाईन्ड रैंक	समय	टिप्पणी
14 / 07 / 2017	1 से अंतिम रैंक तक।	काउंसिलिंग फार्म प्रातः 8.30 से 12 के मध्य भरकर जमा करें । इसके पश्चात काउंसिलिंग की प्रकिया प्रारंभ होगी ।	पी.ई.टी. में सम्मिलित छात्रों को प्रावीण्यता के आधार पर काउंसिलिंग द्वारा प्रवेश दिया जायेगा। काउंसिलिंग केवल उपलब्ध / रिक्त सीटों के लिए ही की जाएगी ।

कौसलिंग स्थल :– दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय , जी.ई.रोड, 36 सिटी माल के बाजू छोकरा नाला के पास महासमुन्द रोड, रायपुर छत्तीसगढ़ 492006.

प्रवेश हेतु पी.ई.टी. 2017 में इंगित प्रवेश नियम लागू होंगे । काऊंसिलिंग कार्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्र–छात्राओं की उपस्थिति का निर्धारण भी पी.ई.टी. 2017 की परीक्षाफल में अर्जित प्रवीण्यता एवं उपलब्ध सीटों की संख्या के अधार पर होगा । आरक्षित श्रेणी के किसी वर्ग में प्रर्याप्त प्रत्याशी उपलब्ध न होने पर रिक्त स्थानों की पूर्ति नियमानुसार परिवर्तित करके उपस्थित प्रत्याशी को सीट दे दी जावेगी।

प्रवेश हेतु अभ्यार्थी अपने साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र / दस्तावेज लावें :–

(1) पासपोर्ट साईज़ की तीन फोटो अभिप्रमाणित प्रतियां	(2) पी.ई.टी. 2017 की मूल अंकसूची
(3) 10वीं एवं 12वीं की मूल अंकसूची	(4) आरक्षित श्रेणी एवं वर्ग से संबंधित अभिप्रमाणित प्रमाण पत्र
(5) जाति प्रमाण पत्र	(6) मूल निवास प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र
(7) चरित्र प्रमाण पत्र	(8) प्रवजन प्रमाण पत्र
(9) चिकित्सा प्रमाण पत्र	(10) स्थानान्तरण प्रमाण पत्र
(11) अंतराल संबंधी शपथ पत्र	(12) अधार कार्ड
(13) बैक एकाउंट का छायांप्रति	

समस्त दस्तावेजों की मूलप्रति के साथ–साथ दो–दो अभिप्रमाणित छायांप्रतियां लाना आवश्यक है । काउंसिलिंग में भाग लेने वाले प्रत्येक छात्र / छात्राओं को काउंसिलिंग फार्म/फीस (अनारक्षित वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) के लिए 500/– एवं आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति के लिए 300/–) अनिवार्य रूप से जमा करना होगा । अधिक जानकारी के लिये फोन नं. 0771–4223612, 0771–4223614 एवं मोबाईल नं. 9826152195 से सम्पर्क किया जा सकता है या कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रवेश संबंधी जानकारी प्राप्त की जा सकती है । प्रवेश सम्बन्धित इन जानकारियों के लिए विश्वविद्यालय के www.cgkv.ac.in का अवलोकन किया जा सकता है ।

फीसः– चयनित छात्रों को प्रवेश सुनिश्चित करने हेतु पूरी निर्धारित फीस काऊंसिलिंग के दिन ही जमा करनी होगी अन्यथा उनका प्रवेश मान्य नहीं होगा ।

छात्रावासी	गैर छात्रावासी
19907	13500

कुलसचिव